न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 233/2020 – निगरानी

मोहनसिंह गोदपुत्र रूपसिंह रावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. मांगी लाल पिता डुंगाराम कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति व तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत परासौली मिसल संख्या 263/2016–17 पटटा क्रमांक 27/140 दिनांक 06/08/2018

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.02.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड साईज कुल क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट बताकर पटटा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06/08/2018 को लेकर पटटा जारी कराया जो कि विपक्षी संख्या 01 एक की मौरूसी अर्थात पैतृक भूमि बताकर पुराने गृहों के विनियमितिकरण नियमों के तहत 200/–रूपये जमा कर पटटा जारी कर दिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का वर्षों से कब्जा है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी निगराकार 50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है, प्रार्थी की खातेदारी भुमि पास में है। इस बाबत स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रार्थी निगराकार का कब्जा मानकर अतिक्रमण का नोटिस दिया है जो दिनांक 18.08.2020 का है। जिससे भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड मे उक्त पटटा का कोई इन्द्राज नहीं हैं। विपक्षी गैर निगराकार का मकान इस भूखण्ड के पास ही स्थित होनें से इस भूखण्ड को गैर निगराकार इस भूखण्ड को अपनी जायदाद में गलत रूप मिलाना चाहता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा दिनांक 06/08/2018 तथ्यों एवं विधि के

अति. जिला कलक्टर

पुराना मकान कभी भी बना हुआ नहीं था बल्कि खाली भूखण्ड था जोकि प्रार्थी निगराकार का कब्जा चला आ रहा है, जिसके बाबत ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटीस प्रेषित किया है जिसमे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि खाली भूखण्ड होकर उस पर प्रार्थी निगराकार का कब्जा था। अतः तथाकथित पटटा गलत व अवैध जारी किया गया जो निरस्त होने लायक है। उक्त भूमि का पटटा जारी किया जाने बाबत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पटटा जारी किया जाने बाबत पुराना गृह बाबत कोई रेकॉर्ड नही है तथा परिवार में कोई भाई बहिनों की सहमति का अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भाई बहिन के दस्तखत नहीं है व स्वयं विपक्षी निगराकार का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ उसमे जो पडौस बताये गये व पटटा जारी किया गया जिसमें पडौसी में भिन्नता है। तथा साईज में भी भिन्नता आ रही है क्योंकि शपथ पत्र ने जो पड़ोस बताये गये उसमे और जारीशुदा पटटे के पडोस बिल्कुल अलग है व साईज भी अलग है। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी निगराकार का भूखण्ड कोई अलग था, पटटा अलग जारी किया गया है। तथाकथित पटटा अधिनस्थ ग्राम पंचायत परासौली द्वारा जो जारी किया गया उसमे मौका की स्थिति की जांच व तहकीकात किये बिना ही विधि विरूद्ध पटटा जारी किया है जिसमे ग्राम पंचायत की कोरम मे न तो प्रस्ताव लिया न ही पत्रावली कायम हुई व कोरम में पंचो से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत परासौली के सरपंच द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से पटटा जारी किया जो निरस्त होने लायक है। ग्राम पंचायत को उक्त तथाकथित पटटा जारी करने से पूर्व उक्त भूमि की निलामी के जरिए उद्घोषणा जारी करनी चाहिए थी व जिस व्यक्ति का मौके पर कब्जा है उसे नियमानुसार बाजार दर से विक्रय कर राशि जमाकर विधिवत पटटा जारी कर पंजीयन करवाना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना ही विधि विरुद्ध पटटा 06/09/2018 को जारी किया है जो निरस्त होने लायक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन में वर्णित पडौसो मध्य स्थित भूखण्ड जिसका पटटा मीसल नम्बर 263/2016–17 पटटा क्रमांक 27/140 ग्राम पंचायत परासौली द्वारा दिनांक 06/09/2018 को जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जायें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत परासोली द्वारा पूर्णतयाः पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की पालना करते हुए विपक्षी संख्या 01 मांगी लाल कुमावत के हक में पटटा जारी किया गया तथा उक्त पटटा शुदा जायदाद पर पटटा बनाये जाने से पूर्व करीबन 40–50 वर्षो से अधिक समय से विपक्षी संख्या 01 एवं उसके परिवारजन का कब्जा एवं उपयोग व उपभोग चला आ रहा था तथा इसी जायदाद पर विपक्षी संख्या 01 अपना मकान भी बना रखा था जो कि पटटा पत्रावली से भी स्पष्ट रूप से साबित हैं परन्तु उक्त वादग्रस्त जायदाद में निर्मित उक्त मकान अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने से उसको वर्ष 2018 में गिरा दिया गया तथा नया निर्माण करने बाबत भी ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्माण स्वीकृति प्रदान की तथा आज भी वादग्रस्त जायदाद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर विपक्षी संख्या 01 का ही कब्जा एवं उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं इस प्रकार ग्राम पंचायत परासोली द्वारा विपक्षी संख्या 01 के हक में बनाया गया पटटा पूर्णतया वैध होकर सही हैं तथा निगराकार द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से उसका कब्जा बताया जाना तथा उसका उपयोग व उपभोग होना बताया जाना पूर्णतयाः गलत होकर अस्वीकार हैं तथा निगराकार द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई हैं उसका उद्देश्य मात्र गैर निगराकार विपक्षी संख्या 01 को नाजायज परेशान कर अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी बढ़ाना हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध गैर निगराकार संख्या 01 ने स्वयं के शपथ पत्र में पटटे की साईज 60 X 20 अंकित कर रखी हैं, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 को जारी पटटे में साईज पूर्णतया भिन्न हैं जो उत्तर दिशा में 70 फीट, दक्षिण दिशा में 20 फीट, पूर्व दिशा में 60 फीट, पश्चिम दिशा 78 फीट 10 इंच अंकित हैं जोकि कुल 2700 वर्गफीट की हैं। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा स्वयं के शपथ पत्र में अंकित पटटे की साईज एवं ग्राम पंचायत से जारीशुदा पटटे की साईज में विरोधाभास स्पष्ट प्रतीत होता हैं।

इसी प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 के स्वयं के शपथ पत्र एवं

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे के पडौस भी भिन्न – भिन्न अंकित हैं।

ग्राम पंचायत की मिसल पत्रावली पर उपलब्ध भाई बहन की सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में किसी भी भाई बहिन के नाम अंकित नहीं एवं न ही उनके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार पडौसियों के शपथ पत्रों में गैर निगराकार संख्या 01 प्रश्नगत पटटे पर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं ? इसका कोई उल्लेख नहीं हैं एवं न ही पटटे के पडौस व माप अंकित हैं। जिससे यह जाहिर नही हो सकता हैं कि गैर निगराकार संख्या 01 के किस पटटे के लिए पडौसियों ने शपथ पत्र पेश किये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी पटटा संख्या 27/140 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पटटा संख्या 27/140 दिनांकित 06.09.2018 को अपास्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 27/140 दिनांक 06.09.2018 से जारी पटटे को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली को रिमाण्ड करते हुये निर्देशित किया जाता हैं कि, उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 27/140 के संबंध में समस्त बिन्दुओं की पूर्ण रूपेण जांच परीक्षण कर, आस पडौसों की गहनता से जांचकर, सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण करा, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर उक्त प्रकरण में नियमानुसार अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सुरेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा